न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 18/21

GCMS NO 2021/32

1. गजानन्द पुत्र कल्याण जाति जाट
2. मूल्या पुत्र कल्याण जाति जाट
3. हरिमोहन पुत्र कल्याण जाति जाट
4. रामनाथी बेवा कल्याण जाति जाट समस्त निवासीयान ग्राम कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. शंकर पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी ग्राम कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 11/12 निर्णय व डिकी दिनांक 30.3.21 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्रीदास सिह
अभिभाषक रैस्पो0 श्री पारस मल जैन

दिनांक 12.5.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 30.3.21 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद पत्र घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी के पिता राधाकिशन के कब्जे काश्त व खातेदारी की पैतृक आराजी पुराना खसरा न0 114 रकबा 24 बीघा 13 विस्वा हिस्सा 2/7 मे अन्य सहखातेदारान के साथ सम्मिलित रूप से ग्राम कुश्तला तहसील सवाई माधोपुर मे स्थित है। जिसका नया खसरा न0 261 रकबा 6.23 है0 बना है वादी के पिता की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी वादी व वादी के दोनो भाई कल्याण व गोविन्दा तीनो के नाम खातेदारी मे दर्ज हुई जब तक वादी के पिता जिन्दा थे वे उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते व लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे थे। उनकी मृत्यु के उपरान्त वादी अपने तीनो भाईयो के साथ उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा था तथा लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा था वादी के पिता के नाम और भी दीगर आराजीयात थी, जिसका बंटवारा आपसी सहमति से हम तीनो भाईयो मे हो गया। लेकिन वादी के भाई गोविन्दा के कुछ जमीन ज्यादा हिस्से मे आई थी। लिहाजा तीनो भाईयो के हिस्से बराबर जमीने रहे व समानता रहे इसी उद्वेश्य से वादी के भाई गोविन्दा ने उक्त आराजी मे स्थित अपना 2/7 का 2/3 भाग जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 1.10.03 को वादी के पक्ष मे त्याग कर दिया। उक्त हक त्याग पत्र रामदयाल सैनी डीडराईटर से तहरीर व तकमील करवाकर रूबरू गवाहान

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रभूलाल व राजेन्द्र सिह अपनी अंगूठा निशानी कर उक्त हक त्याग सब रजिस्ट्रार सवाई माधोपुर के यहॉ रजिस्टर्ड करवा दिया। दिनांक 01.10.03 को हक त्याग करने के दिन से ही वादी अपने भाई के उक्त आराजी के हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है एव लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा है। इस प्रकार उक्त आराजी मे वादी का 4/21 व प्रतिवादीगण के पक्ष मे 2/21 भाग बनता है। वादी के पक्ष मे अपने भाई के हक त्याग किये गये हिस्से का नामा0 संख्या 638 दिनांक 20.5.05 को सरपंच ग्राम पंचायत कुश्तला द्वारा खोला जाकर तस्दीक किया गया है। तदनुसार जमाबंदी मे नोट भी लगाया है। अभी हाल ही मे वादी ने अपनी खातेदारी की जानकारी पटवारी हल्का से की तो पटवारी हल्का ने बताया कि रेवेन्यू कर्मचारी ने वादी की हक त्याग मे आई आराजी की खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादीगण के साथ सम्मिलित रूप से अंकित कर दी है। तो वादी को घोर आश्चर्य हुआ तथा वादी ने राजस्व रिकार्ड की नकल ली तो मालूम चला कि रेवेन्यू कर्मचारियो ने गलत रूप से वादी के भाई गोविन्दा द्वारा उसके हिस्से की भूमि जो वादी को हक त्याग की थी उसे प्रतिवादीगण के नाम लगा दी है। जमाबंदी मे वादी का हिस्सा 4/21 व प्रतिवादी का हिस्सा 2/21 दर्ज होना चाहिए था परन्तु रेवेन्यू कर्मचारियो ने सभी का हिस्सा 2/7 कर दिया। वादी को यह अधिकार हासिल है कि वह गोविन्दा की हक त्याग की गई भूमि को अपनी खातेदारी मे दर्ज कराने व रेवेन्यू कर्मचारियो द्वारा की गई गलती को दुरूस्त करवाकर रिकार्ड दुरूस्त करवाये जाने व प्रतिवादीगण को पाबंद कराने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी के उसके हिस्से व गोविन्दा द्वारा वादी को हक त्याग मे दिये गये हिस्से मे वादी के कब्जे काश्त मे किसी तरह की मजाहमत या मदालखत नही करे। दिनांक 10.1.12 को वादी ने प्रतिवादीगण से कहा की रिकार्ड की गलती दुरूस्त करवा लेते है तो प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया व कहने लगे कि हम ऐसा नही करेगे तुम्हारी इच्छा हो जो कर लो। इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ। अतः दावा वादी इस अमर का डिक्री फंरमाया जाकर उदघोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि विवादित खसरा न0 पुराना 114 रकबा 24 बीघा 13 विस्वा हाल खसरा न0 261 रकबा 6.23 है0 वाके ग्राम कुश्तला तहसील सवाई माधोपुर मे जरिये हक त्याग पत्र दिनांक 01.10.03 गोविन्दा की हिस्से की भूमि का वादी एक मात्र खातेदार काश्तकार है तदनुसार वादी का हिस्सा व गोविन्दा का हिस्सा की भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करते हुए राजस्व रिकार्ड मे न्य दुरूस्ती की जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आराजी खसरा न0 पुराना 114 रकबा 24 बीघा 13 विस्वा हाल खसरा न0 261 रकबा 6.23 है0 वाके ग्राम कुश्तला तहसील सवाई माधोपुर के हिस्से 4/21 मे वादी के कब्जे काश्त मे न तो स्वयं मदालखत व मजाहमत करे ना ही अपने नोकर या ऐजेन्ट द्वारा पैदा करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी न0 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तथ्यो के विपरीत व कानूनन इंसाफन गलत होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थीगण के पिता कल्याण व प्रत्यर्थी संख्या 1 खास भाई है। जिनका एक भाई और है जिनका नाम गोविन्दा है इन तीनो के मध्य सन 1985 मे इनकी पैतृक काश्त आराजीयात ग्राम कुश्तला का तकासमा हुआ था उक्त तकासमा मे अपीलार्थीगण के पिता कल्याण को सिर्फ 10 बीघा भूमि दी गई तथा अपील मे वर्णित आराजी खसरा न0 114 जिसका नया खसरा न0 261 रकबा 6.23 है0 है को तकासमा मे शामिल नही किया गया था इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने तकासमा की अपील की थी। जो राजस्व मंडल अजमेर द्वारा स्वीकार की जाकर दावा अधिनस्थ न्यायालय को दुबारा सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। जिसकी अपील प्रत्यार्थी न0 1 शंकर ने माननीय उच्च न्यायालय मे कर रखी है जो अभी लंबित है । इस महत्वपूर्ण तथ्यो पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया है इसलिए निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय निरस्त योग्य है। आराजी खसरा न0 114 रकबा 24 बीघा 13 विस्वा जिसका नया खसरा न0 261 रकबा 6.23 है0 है का तकासमा होने पर अपीलार्थीगण को 1/3 हिस्सा प्राप्त होगा। जबकि इस आराजी का रकबा प्रत्यर्थी शंकर के नाम दर्ज है तथा इसी रकबा मे से गोविन्दा ने अपना हिस्सा प्रत्यार्थी न0 1 शंकर को हक त्याग कर दिया है इस हक त्याग करने से इन आराजी मे अपीलार्थीगण का हिस्सा व अधिकार प्रभावित होता है इस महत्वपूर्ण तथ्यो पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया है इसलिए निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। पक्षकारान के मध्य अपील मे वर्णित आराजीयात मे तकासमा को लेकर मामला माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे विचाराधीन है। मामला उच्च न्यायालय मे विचाराधीन रहते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है, इसलिए निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय निरस्त योग्य है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से यह भली प्रकार प्रमाणित होता है कि सन 1985 मे किया गया बंटवारा गलत है जिस बंटवारे को माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने अपने निर्णय से निरस्त कर दिया है इसके बाबजूद भी तनकी न0 5 अपीलार्थीगण द्वारा साबित नही मानी जाकर अधिनस्थ न्यायालय ने अहम भूल की है। इसलिए निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पो0 के अधिवक्ता का दौराने बहस कथन रहा कि वादी/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र मे वादी के भाई गोविन्दा द्वारा वादी के पक्ष मे किये गये रजिस्टर्ड हक त्याग की भूमि की घोषणा चाही है। जबकि अपीलांट द्वारा बार बार तकासमे का जिक्र किया जो रहा है, साथ ही अपील मे यह तथ्य अंकित किया है कि उक्त वादग्रस्त खसरा न0 की आराजीयात को तकासमे मे शामिल नही किया है। इससे स्पष्ट है कि तथाकथित तकासमे का हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार का कोई सरोकार नही है। जहॉ तक मामला उच्च न्यायालय मे विचाराधीन होने का है तो वह प्रकरण अन्य आराजीयात को लेकर हुए तकासमे से सबंधित है एवं हस्तगत प्रकरण अन्य आराजीयात खसरा न0 114 को लेकर है। वादी/रेस्पो0 के भाई गोविन्दा द्वारा उक्त आराजी खसरा न0 261 रकबा 6.23 है0 मे से अपना हिस्सा 2/7 मे से 2/3 भाग को जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 01.10.03 को वादी/रेस्पो0 के पक्ष मे त्याग किया गया है। उक्त हक त्याग रजिस्टर्ड हक त्याग है। उक्त किये गये हक त्याग का नामा0 संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

638 दिनांक 20.5.05 को सरपंच ग्राम पंचायत कुश्तला द्वारा खोला जाकर तस्दीक किया गया है। तदनुसार जमाबंदी मे नोट भी लगाया गया है। उक्त नामा0 संख्या 638 को अपीलांट द्वारा समक्ष न्यायालय मे चेलेन्ज नही किया है। सेटलमेंट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेट उक्त हक त्याग मे आई आराजी की खातेदारी गलत रूप से अपीलांट/प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गई थी। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे माना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकीयात कायम की गई है। तनकी संख्या 1 लगायत 3 को सावित करने का भार वादी पर था जिसे वादी द्वारा अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी सावित किया है तथा तनकी संख्या 4 व 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण/अपीलांट पर था जिसे अपीलांट सावित करने मे असफल रहे है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से वाद पत्र मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी का विवेचन किया जाकर एवं उभयपक्ष की साक्ष्य लेने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 114 रकबा 24 बीघा 13 विस्वा जिसके हाल खसरा न0 261 रकबा 6.23 है0 वाके ग्राम कुश्तला तहसील सवाई माधोपुर मे स्थित है। जो वादी एवं उसके भाई कल्याण व गोविन्दा के नाम रही है। वादग्रस्त आराजीयात के बाबत पक्षकारो के मध्य तकासमा होने का कथन उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा स्वीकार किया है। परन्तु आराजीयात खसरा न0 261 रकबा 6.23 है0 को उक्त तकासमा मे शामिल नही होना बताया है। हस्तगत प्रकरण मे वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 261 रकबा 6.23 है0 है। जो कि साबिक खातेदारान शंकर, कल्याण व गोविन्दा पिसरान राधाकिशन की खातेदारी मे रही है। साबिक खातेकदार गोविन्दा पुत्र राधाकिशन द्वारा अपने हिस्से मे आई आराजीयात का रजिस्टर्ड हक त्याग अपने भाई वादी शंकर के हक मे दिनांक 01.10.03 को इस प्रकार किया कि "उक्त आराजी मे मेरे हिस्से व कब्जे की सम्पूर्ण भूमि मेरे खास भाई शंकर अर्थात वादी के हक मे छोडता हूँ अर्थात खातेदारी अधिकारो का त्याग करता हूँ" उक्त रजिस्टर्ड हक त्याग का नामा0 संख्या 638 विधिवत तस्दीक हुआ है तथा जमाबंदी मे नोट भी लगाया गया है। रजिस्टर्ड हक त्याग दिनांक 01.10.03 के आधार पर खोले गये नामा0 संख्या 638 को अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय मे चलेन्ज करने बाबत कोई कथन बहस के दौरान नही किया है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे यह साबित होता हो की उक्त नामा0 के विरूद्व कार्यवाही जैरकार हो, ना ही अपीलांट द्वारा उक्त रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 01.10.03 को निरस्त कंराने के सबंध मे कोई कथन नही किया है ना ही कोई दस्तावेज पेश किया है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि पक्षकारो के मध्य हुए विभाजन के सबंध मे प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन है। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के मद न0 2 मे यह अंकित किया है कि उक्त खसरा न0 261 को तकासमा मे शामिल नही किये जाने के कारण उक्त तकासमे की अपील अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई थी जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा स्वीकार कर दावा अधिनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया था जिसके विरूद्व रेस्पो0 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय रिट प्रस्तुत की है। जो जैरकार है। इससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय मे जैरकार प्रकरण मे उक्त खसरा न0 261 का कोई सवंध नही है। हस्तगत प्रकरण घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सवंधित है। अधिनस्थ न्यायालय मे वादी अपने वाद पत्र को वखूवी सावित करने मे सफल रहे है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र मे 5 तनकीयात कायम की जाकर तनकी संख्या 1 लगायत 3 को सावित करने का भार वादीगण को दिया गया था जिसे वादीगण वखूवी सावित करने मे सफल रहे है तथा प्रतिवादीगण पर भारित तनकी संख्या 4 व 5 को प्रतिवादीगण सावित करने मे असफल रहे है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि सामने नही आने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 11/12 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.3.2021 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.5.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत वालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

डिगरी बसीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix G)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर

बइजलास श्री लक्ष्मीकांत बालोत आर.ए.एस.

1. गजानन्द पुत्र कल्याण जाति जाट
2. मूल्या पुत्र कल्याण जाति जाट
3. हरिमोहन पुत्र कल्याण जाति जाट
4. रामनाथी बेवा कल्याण जाति जाट समस्त निवासीयान ग्राम कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

वनाम

1. शंकर पुत्र राधाकिशन जाति जाट निवासी ग्राम कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

रेस्पो0

अपील संख्या 18/2021 निर्णय व डिक्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 30.3.21 वाद पत्र घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा। यह अपील संख्या 18/21 व तारीख 12.5.26 रूबरू हमारे व हाजिरी श्री श्रीदास सिह अभिभाषक मिन जानिब अपीलांट तथा रेस्पो0 श्री पारस मल जैन उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति मे हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 11/12 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.3.21 की पुष्टि की जाती है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 12.05.2026 को जारी किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

(मुहर: राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) — सत्यमेव जयते)

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पो0	रूपये	पैसे
स्टाम्प अपील	---	---	स्टाम्प वकालतनामा	---	---
स्टाम्प वकालतनामा	---	---	स्टाम्प अर्जी	---	---
इजराय हुक्मनामा	---	---	इजराय हुक्मनामा	---	---
वकील फीस बाबत	---	---	महन्ताना वकील	---	---